

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15-3-22

पार्श्व के अधिकाराने प्राथमिक पत्र भूल
वाड पेश कर वाड-पत्र को नोट पेश
शुद्धि करवाया जा चुका है अतः प्राथमिक
पत्र का कानून को ही अधीन नहीं
रह जाता है अतः प्राथमिक पत्र को
नोट पेश में शुद्धि किया जाता है
पत्रपाली मजदूर को काम देकर वाशिंग
पावर है। ३)

उपसंग्रह अधिकारी
हासेरी (बून्दी)

न्यायालय श्रीमान जज

15/3/22
का.सं. ३